अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 प्रस्तावना

निगमित अभिशासन पणधारी (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, सरकार एवं समुदाय) को सन्तुष्ट करने के लिए दीर्घकालिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर एक संगठन में संरचना, प्रचालन और नियंत्रण एवं विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की एक प्रणाली है। निगमित अभिशासन कम्पनियों को निर्देश देने और नियंत्रण करने के रूप में है। यह कम्पनी और प्रबन्धन के नैतिक, नीतिपरक, उपयोगिता, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कम्पनियों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर एवं समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए पणधारियों और अन्य पणधारियों के सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित किया जाता है। **अच्छे अभिशासन संरचनाओं के अभाव और अभिशासन सिद्धान्तों के पालन के अभाव से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्तियों के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार से जोखिम में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।**

3.1.1 भारत में निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के निदेश की भारत में पहल की गई जिसमें मुख्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न संशोधनों ने सम्पूर्ण देश में कम्पनियों को अभिशासन निदेश दिए इसलिए डीपीई ने सार्वजनिक क्षेत्र में अभिशासन पहलों का मार्ग उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए।

3.1.2 सीपीएसईज़ के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर-कार्यालयीन निदेशकों के शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मंडल में स्वतन्त्र निदेशकों के शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए।

सीपीएसईज़ के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किये। ये दिशानिर्देश स्वरूप में अभिप्रेत थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, मई, 2010 में डीपीई दिशानिदेर्शों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं।

डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों ने निदेशक मंडल के गठन के क्षेत्रों, लेखापरीक्षा समिति जैसे निदेशक समितियों के गठन एवं कार्य, सहायक कम्पनियों के ब्यौरे, प्रकटन, रिपोर्ट एवं कार्यान्वयन

के लिए अनुसूचियों को कवर किया। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के लिए सभी सन्दर्भ मई 2010 में जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हैं जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य हैं।

3.1.3 निगम शासन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित अभिशासन के संबंध में कोई सीधा प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों में कतिपय प्रथाओं को निर्धारित किया गया कि सख्त, निगमित अभिशासन संरचना को बनाएं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ ऐसे प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

- धारा 217 (2एए) को दिसम्बर, 2000 से लागू किया गया जिसमें यह दर्शाते हुए बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक के जिम्मेवारी विवरण के लिए प्रावधान किया गया कि लागू लेखाकरण मानकों का लेखाओं के बनाने में अनुसरण किया गया और उनसे अलग सामग्री की सूचना दें कि कम्पनियों ने अपनी लेखाकरण पॉलिसियों का सुसंगत रूप से अनुसरण किया और सभी लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

- धारा 292 ए को दिसम्बर 2000 से लागू किया गया जिसमें ₹ 5 करोड़ से कम नहीं की प्रदत्त पूँजीगत वाली प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बोर्ड की समिति के रूप में लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा समिति के सन्दर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निरीक्षण तथा अन्य कर्त्तव्यों के निष्पादन एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट जिम्मेवारियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल किया जाता है।

- अधिनियम की धारा 299 में कम्पनी के द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए ठेका अथवा करार (वर्तमान अथवा प्रस्तावित) में उसकी चिन्ता अथवा हित के स्वरूप की बोर्ड की मीटिंग में प्रकटीकरण करना कम्पनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा आवश्यक है। कम्पनी को ऐसे संव्यवहारों का अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत ठेका रजिस्टर में दर्ज करना भी अपेक्षित है।

3.1.4 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र दिनांक 21 फरवरी 2000 के माध्यम से सूचीगत करार में एक नया खण्ड 49 शामिल किया। सूचीगत करार के खण्ड 49 में संशोधन अक्तूबर 2004 में किया गया और संशोधित खण्ड को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। सूचीगत करार के खण्ड 49 में निदेशक मंडल के गठन, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कार्य, सहायक कम्पनी की तुलना में नियन्त्रक-कम्पनी के निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, प्रकटीकरण और अन्य मामलों के मध्य अनुपालन रिपोर्टों आदि का प्रावधान है।

3.1.5 निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा समीक्षा

- 31 मार्च 2012 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 481 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इसमें 338 सरकारी कम्पनियों, 137 डीम्ड सरकारी कम्पनियों और 06 सांविधिक निगमों को शामिल किया गया। अधिकांश सीपीएसईज में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न को शामिल किया गया जो लाभ अर्जन कर रही हैं और वर्षों से उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। सीपीएसईज को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की पॉलिसी के सन्दर्भ में निगमित अभिशासन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढ़ाने और विश्वव्यापी विशाल होने की प्रत्याशा की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।
- लेखापरीक्षा ने उनकी कार्पोरेट गॅवर्नेन्स अपेक्षाओ के अनुपालन की समीक्षा के लिए हेवी उद्यम और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से संबंधित 36 सरकारी कम्पनियों (अनुलग्नक XIII) को कवर किया। मार्च 2012 को समाप्त एक वर्ष की अवधि को समीक्षा में कवर किया गया। समीक्षा की निष्कर्षों को नीचे पैराग्राफ मे प्रस्तुत किया गया है।

3. 2 निदेशक मण्डल

3.2.1 सरकारी नामिती निदेशक

डीपीई दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सरकारी निदेशक को निदेशक मंडल की वास्तविक क्षमता के छठवे हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए और बोर्ड में मात्र एक प्रतिनिधि रखना अधिमान्य है। तथापि, किसी भी मामले में, यह दो से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में सरकारी निदेशक दो से अधिक थेः

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेपा लिमिटेड
2	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एवं इस्ट्रूमैंट लिमिटेड
3	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड
4	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में, बोर्ड में कोई सरकारी नामिती निदेशक नही थे।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
2	यूले इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	यूले इंजिनियरिंग लिमिटेड

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने के लिए समर्थ बोर्ड में स्वतन्त्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। **सूचीगत करार के खण्ड 49(I)(ए)(ii) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहाँ बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है वहाँ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई को स्वतन्त्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है, तो कम से कम बोर्ड के आधे को स्वतन्त्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना गया है।**

समीक्षित कम्पनियों के निदेशक मंडल के गठन से पता चला कि निम्नलिखित कम्पनियों के पास उनके बोर्ड मे स्वतंत्र निदेशको की अपेक्षित संख्या नही थीः

क्रम सं.	सीपीएसईज़ का नाम	वांछित	वास्तविक
1	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7	6
2	ब्रेथ वेट बर्न एवं जैसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	2	1
3	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड	3	1
4	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	4	3
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड	3	1
6	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	2	1
7	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	3	1
8	इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड	4	1
9	नेपा लिमिटेड	3	1
10	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एवं इन्स्ट्रूमैन्ट्स लिमिटेड	2	1
11	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड	4	1
12	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड	3	1
13	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2	1

निम्नलिखित सीपीएसईज़ में, बोर्ड मे कोई स्वतंत्र निदेशक नही था।

क्रम सं.	सीपीएसईज - गैर स्वतंत्र निदेशक
1	एन्ड्रयू यूले एवं कम्पनी लिमिटेड
2	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
3	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल लिमिटेड
4	भारत पम्प्स एवं कम्प्रैसर लिमिटेड

5	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
9	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड
10	एचएमटी चिनार वॉचेज़ लिमिटेड
11	एचएमटी इन्टरनेशनल लिमिटेड
12	एचएमटी लिमिटेड
13	एचएमटी वॉचेज़ लिमिटेड
14	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
15	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
16	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
17	नेशनल बाएसाईकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18	रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लिमिटेड
19	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
20	यूले इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
21	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (I)(ए)(i) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में अनुबद्ध किया जाता है कि कम्पनी का निदेशक मंडल गैर-कार्यकारी निदेशकों के बने हुए निदेशक मण्डल के पचास प्रतिशत से कम नहीं के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक/कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा। निम्नलिखित कम्पनियों में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के पचास प्रतिशत से कम थे।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	वांछित	वास्तविक
1	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	3	2
2	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	3	2
3	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड	3	2
4	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	3	2
5	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड	2	1
6	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	3	1

7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	2	1
8	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	2	1
9	एचएमटी बैरिंग लिमिटेड	2	1
10	इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड	4	3
11	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	2	1

3.2.4 कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों पर सूचना

डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीगत करार के खण्ड 49 के कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों के बारे में न्यूनतम सूचना निर्धारित की गई है जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना में वार्षिक परिचालन योजनाओं, बजट, त्रैमासिक परिणामों, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त, बोर्ड स्तर से थोड़ा कम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती एवं परिश्रमिक पर सूचना, संयुक्त उद्यम के ब्यौरे, विदेशी विनिमय आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में अपेक्षित सूचना बोड को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

क्रम सं.	सीपीएसई के नाम	न्यूनतम सूचना प्रस्तुत नहीं की गई
1	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	• बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत।
2	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	• बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत।
3	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी और इसके परिचालन डिवीजनों या व्यापार खण्डों के तिमाही परिणाम। • बोर्ड स्तर से थोडा कम वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और परिश्रमिक पर सूचना जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और कम्पनी सचिव की नियुक्ति अथवा पदच्युति शामिल है। • घातक या गम्भीर दुर्घटनाए, खतरनाक घटनाएं, कोई भौतिक बहिस्त्राव या प्रदूषण समस्याएं। • विदेशी विनिमय अरक्षतिता के त्रैमासिक ब्यौरे और प्रतिकूल विनिमय दर गति के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
4	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	• लेनदेन जिनमें साख, ब्रांड या बौद्धिक सम्पदा, सामग्री की बिक्री, निवेश का स्वरूप, सहायक लेन-देन, परिसम्पत्तियों के प्रति पर्याप्त भुगतान शामिल हैं, जो व्यापार के सामान्य स्वरूप में नहीं है।
5	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	• पूंजी बजट और अन्य अद्यतन

6	एचएमटी चीनार वॉचेज लिमिटेड	• वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अद्यतन है।
7	एचएमटी लिमिटेड	• पूंजीगत बजट व कोई अद्यतन है। • विदेशी विनिमय अरक्षितता के त्रैमासिक ब्यौरें और प्रतिकूल विनिमय दर गति के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबन्धन द्वारा उठाए गए कदम, यदि वे ठोस हो।
8	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	• वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अद्यतन है, पूंजीगत बजट तथा कोई अद्यतन है। • कम्पनी और उसके कारोबार सेगमेंटस के परियोजन डिवीजनों के लिए त्रैमासिक परिणाम
9	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टस लिमिटेड	• लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त

3.2.5 जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन ईकाई की प्रतिष्ठा और संबंध परिणामों की क्षति का परिहार करने और जोखिम का प्रबंध करने में प्रबंधन की सहायता करता है। निगमित प्रबंधन नीतियों की योजना में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए इसका निरीक्षण बोर्ड/प्रबंधन की मुख्य जिम्मेवारियों मे से एक होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देशों में जोर दिया जाता है कि बोर्ड को निगमित एवं प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंध प्रणाली का एकीकरण और सरेखन सुनिश्चित करना चाहिए और यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार प्रथा के भाग के रूप मे लिया गया है और न की निर्धारित समय में अलग कार्य के रूप में। निम्नलिखित कंपनियों के बारे में जोखिम पालिसी अभी विकसित की जानी है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
3	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड
4	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
5	ब्रेथ वेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
6	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
7	इन्जीनियरिंग प्रोजक्टस इण्डिया लिमिटेड
8	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड
10	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

11	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
12	एचएमटी चीनार वॉचेस लिमिटेड
13	हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड
14	इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड
15	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
16	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
17	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18	नेपा लिमिटेड
19	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टस लिमिटेड
20	रिचार्डसन एण्ड क्रूड्डास (1972) लिमिटेड
21	साम्भर साल्टस लिमिटेड
22	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
23	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड
24	यूले इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेउ
25	यूले इन्जीनियरिंग लिमिटेड

3.2.6 कार्यात्मक गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र निदेशकों के पदो का भरा जना

निदेशकों, के पदो में रिक्तियों का समय से भरा जाना कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित निपुणता और सुविज्ञता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। रिक्तियों के भरने में कोई भी विलम्ब निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की प्रभावकारिता में बाधा डाल सकता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में 31 मार्च 2012 को निदेशकों - कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र आदि के पदो को भरने में छः माह या उससे अधिक विलम्ब हुआ था।

क्रम संख्य	सीपीएसईज का नाम	पद का नाम	माह की संख्या
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	7
2	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक-2	24
3	भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक-2	7
4	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	16
5	इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक-2	16
6	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	17
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	सीएण्डएमडी	21
8	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक -2	33

		निदेशक (वित्तीय)	15
9	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्ययुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	7
10	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	नामांकित निदेशक	6
11	नेपा लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	125
12	रचार्डसन एण्ड क्रूड्डास (1972) लिमिटेड	निदेशक	45
13	साम्भर साल्टस लिमिटेड	नामांकित निदेशक-2	6
14	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	सरकारी नामांकित	99
15	टायर कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	15

3.3. लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीगत करार के खंड 49(II) (ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में अनुबद्ध किया जाता है कि न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। निम्नलिखित कम्पनियों में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी:

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रीव यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान पेपर कारपारेशन लिमिटेड (16.10.2011 से कार्यात्मक नहीं है)
5	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड
6	एचएमटी बीयरिंग्स लिमिटेड
7	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
8	एचएमटी लिमिटेड
9	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
10	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
11	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
12	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
13	नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड
14	नेशनल वाय साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	रिचर्डसन एंड क्रुडडास (1972) लिमिटेड
16	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
17	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्ल्स लिमिटेड
18	यूले इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
19	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाइ सदस्य यथाअपेक्षित स्वतन्त्र निदेशक नहीं थे।

संख्या	सीपीएईज-जिसमें अपर्याप्त स्वतन्त्र निदेशक है
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	ब्रीज एंड रूफ कम्पनी लिमिटेड
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
8	नेपा लिमिटेड
9	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
10	साम्भर साल्टस लिमिटेड
11	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीकरण करार ओर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र होंगे। निम्नांकित मामले में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र नहीं थेः

क्र.सं.	सीपीईज जिसमें -लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
6	नेपा लिमिटेड
7	सम्भर साल्ट्स लिमिटेड
8	तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लिमिटेड

3.3.4 सूचीकरण करार और डीपीई दिशानिर्देश के क्लॉज 49II (ए) (iv) यह अपेक्षा करता है कि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को शेयरधारक के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थित रहना चाहिए। हालांकि, निम्नलिखित सीपीएसईज की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2011-12 के दौरान आयोजित एजीएम की बैठक में भाग नहीं लिया।

सीपीएसई	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम निमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	ब्रीज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

5	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
6	नेपा लिमिटेड
7	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

3.3.5 यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप समिति का कार्य है के लिए लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में शर्तों की आवधिक समीक्षा की प्रणाली होनी चाहिए। निम्नांकित कम्पनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ को शर्तों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
3	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
5	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)
6	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

3.3.6 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की नियुक्ति पत्र जारी करने की अच्छी पद्धति है जिसमें उनकी नियुक्ति और उद्देश्य अपेक्षित वचनबद्धता, पारिश्रमिक, मूल्यांकन, समर्थन और प्रशिक्षण जिसे वे लेंगे, उम्मीद आचरण, नियुक्ति की अवधि और कितनी बार इसे नवीकृत किया जाता है और शर्तों को समाप्त किया जा सकता है को स्पष्ट करता है। निम्नांकित कम्पनियों में लेखापरीक्षा के सदस्यों की नियुक्ति पत्र जारी करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	ब्रेथ वेट बर्न एंड जेस्सोप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
5	ब्रीज एंड रूफ को (इंडिया) लिमिटेड
6	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
9.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
10.	नेपा लिमिटेड
11.	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड
12.	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड
13.	तुंगभद्र स्टील प्रोडेक्ट्स लिमिटेड

3.3.7 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सूचीगत करार के खंड 49 II (बी) और डीपीई दिशानिदेशों के (पैरा 4.4) के अध्याय 4 में आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समिति को वर्ष में कम से कम चार बार मुलाकात करनी चाहिए। समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संदर्भ में वर्ष 2011-12 के दौरान चार से कम बैठकें हुई थी।

क्र. सं.	सीपीएसईएस-लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की अपेक्षा	आयोजित की गई बैठकों की संख्या
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड़	1
2	भारत पम्पस व कम्प्रैसर्स लिमिटेड	1
3	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3
4	इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड	2
5	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1
6	नेपा लिमिटेड	3
7	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	1
8	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0

3.3.8 **ब्लू रिबन समिति*** की एक सिफारिश यह थी कि लेखापरीक्षा समीति को कम्पनी के वित्तीय अधिकारी/प्रबंधन की उपस्थिति के बिना वर्ष में एक बार कम्पनी के सांवधिक लेखापरीक्षकों से मुलाकात करनी चाहिए। **इसी अच्छी प्रक्रिया का अनुसरण निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा किया जा रहा थाः**

क्र.सं.	सीपीएसईजेड-ब्लू रिबन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना
1	ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया लिमिटेड)
2	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

3.3.9 किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का उतरदायित्व भी लेखापरीक्षा समिति का है। यह देखा गया था कि, निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नही की गई।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर लिमिटेड
2	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ् इंडिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैम्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
4	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड

3.3.10 चेतावनी देने वाला तंत्र

(ए) सूचीगत करार के खंड 49 II (डी) 12 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.12 में अपेक्षा की गई है कि कम्पनी में विद्यमान होने पर चेतावनी देने वाले तंत्र की क्रियाकलापों की लेखापरीक्षा समिति समीक्षा करें। सूचीगत करार में अपेक्षा की गई कि कम्पनी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धन को

---

* *एक समिति संयुक्त राज्यों में लेखापरीक्षा समिति के प्रभावकारिता में सुधार करने पर एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया।*

अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशांकित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के बारे में सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापन करें। यह तंत्र उन कर्मचारियों को जो इस तंत्र का उपयोग करेंगे के शोषण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष तक भी सीधा सम्पर्क करवाएगा। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के विधमान होने की सूचना संगठन में समुचित रूप से प्रसारित की जाए। निम्नलिखित कम्पनियों में चेतावनी वाला तंत्र नहीं था।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	भारत हेवी प्लेटस एवं वेसल्स लिमिटेड
4	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड
5	ब्रेथ वेट ब्रन एण्ड जिसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
6	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	नेपा लिमिटेड
8	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड

(बी) निम्नलिखित कंपनियों में, हालांकि चेतावनी देने वाला तंत्र विधमान था, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपएसई का नाम
1	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड

(सी) चेतावनी देने वाले तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना लेखापरीक्षा समिति के उत्तरदायित्व का उपसिद्धांत है, जैसा कि पहले के पैराग्राफ में चर्चा की गई है धोखाधड़ी के विरूद्ध और भ्रष्टाचार के विरूद्ध नीतियों तथा पद्धतियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की भी एक प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यथास्थान है तथा प्रभावी रूप से काम कर रही है। निम्नलिखित कंपनियों में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध नीतियां नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत पम्प्स एवं कम्प्रैशर लिमिटेड
3	ब्रथ वेट ब्रन एण्ड जिसोप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
4	सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
6	नेपा लिमिटेड
7	तंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड

3.3.11 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 49(II) (डी) तथा पैरा 4.2.10 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व सांवधिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रवृत्ति तथा क्षेत्र पर चर्चा करने के साथ लेखापरीक्षा के बाद भी चिन्ता के विषय सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करनी चाहिए।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड बेसेल्स लिमिटेड
3	भारत पम्पस व कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
7	हिन्दुसतन साल्ट्स लिमिटेड
8	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेंटस लिमिटेड
9	सांभर साल्ट्स लिमिटेड

3.3.12 वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी

समीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति के कामों पर वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी की कोई प्रणाली नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएसई
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड बेसेल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स व कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	ब्रेथवेट बर्न एण्ड जोसेफ कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
5	सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	इंजीनियरिंग प्राजेक्टस इंडिया लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
8	नेपा लिमिटेड
9	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड
10	तुंगभ्रदा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड

3.3.13 बोर्ड की नियमित रिपोर्ट भेजने की प्रणाली

लेखापरीक्षा समिति सांविधिक लेखापरीक्षकों आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यों की निगरानी करती है और इस प्रकार की स्थिति में वित्त और विधि के अनुपालन तथा नियामन आदि की दृष्टि से बोर्ड को उसके रणनीति निर्णयों पर परामर्श दे सके। बोर्ड को लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियमित रिर्पोटिंग से कमियों को पहचाने तथा तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई करने में बोर्ड की सहायता करेगा। अतः रिपोर्ट के रूप में बोर्ड को नियमित रिपोर्टिंग की प्रणाली होनी चाहिए। नीचे दिए गई समीक्षा के अन्तर्गत कम्पनियों के बहुमत में नियमित रिपोर्टों की तैयारी करने की कोई प्रणाली नहीं है। बोर्ड को केवल लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का कार्यवृत प्रस्तुत किया जाता था। तथापि, रिपोर्ट के रूप में

लेखापरीक्षा की बैठकों के निष्कर्ष, अवलोकन और सिफारिशें एक बेहतर समझ प्रदान करेगी तथा बेहतर विचार प्राप्त करने मे सक्षम होगें।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स और कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
7	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड
8	सांभर साल्ट लिमिटेड
9	तंगभ्रदा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड

3.4 बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता

सूचीगत करार के खण्ड 1(डी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.4 में अनुबद्ध किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बोर्ड आचार संहिता निर्धारित करेगा। आचार संहिता का परिचालन किया जाएगा तथा कम्पनी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। सभी बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्तक्षारित घोषणा भी शामिल की जाएगी। निम्नलिखित मामलों में व्यवसायिक आचरण और नीति की आर्दश संहिता परिचालित नहीं की गई थी।

क्र.सं.	सीपीएसईएस-व्यापार आचरण और नीतियों की आदर्श संहिता परिचालित नहीं की गई थीः
1	एन्ड्रयू एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	ब्रेथ वेट ब्रुन एण्ड जेसोप कन्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
3	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
4	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
5	एचएमटी इन्टरनेशनल लिमिटेड
6	एचएमटी चिनार वाचस लिमिटेड
7	एचएमटी वॉचस लिमिटेड
8	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
9	इन्सट्रूमेंटशन लिमिटेड
10	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
11	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
12	नेपा लिमिटेड

13	तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड
14	यूले इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड
15	यूले इंजिरियरिंग लिमिटेड

3.5 सचिवीय लेखापरीक्षा

निम्नलिखित कम्पनियों में सचिवीय लेखापरीक्षा नहीं थी।

क्र.सं.	आचरण सीपीएसईएस सचिवीय लेखापरीक्षा प्रणाली ध्यान नहीं दी गई
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत हेवी पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड
5	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान फोटों फिल्मस मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
10	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
11	एचएमटी चिनार वॉचेज मिटेड
12	हुगली प्रिटिंग कम्पनी लिमिटेड
13	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
14	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
15	नागलैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
16	नेपा लिमिटेड
17	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टस लिमिटेड
18	सांभर साल्टस लिमिटेड
19	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
20	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	यूले इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
22	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

3.6. निष्कर्ष

अनिवार्य होते हुए भी कुछ सीपीएसईएस मे डीपीई के निगम सुशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा। बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं लेखापरीक्षा समितियों का काम और रिर्पोटिंग आदि डीपीई दिशानिर्देशों की अभिपुष्टि नहीं करते थे।

3.7. सिफारिशें

सीपीएसईएस में निगमित सुशासन के स्तर को सुधारने की निम्नलिखित सिफारिशें की जाती है।

- **भारत सरकार को सीपीएसईएस के निदेशक मंडल में स्वतंत्र सदस्यों का अपेक्षित संख्या में होना सुनिश्चित करें।**
- **सीपीएसईएस के प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।**

1.7900
1.7855
1.7810
1.7765
14.56
19.00
05.14